न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 2/217/2024 दायर दिनांक:– 13/08/2024

जीसीएमएस नं0:– 2024/482 निर्णय दिनांक:– 20/06/2025

बउनवान

1. जीतू पुत्र दानसिंह जाति गुर्जर नाबालिग
2. पायल पुत्री दानसिंह जाति गुर्जर नाबालिग नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता दया पत्नि दानसिंह जाति गुर्जर निवासीयान मैंथना तहसील कठूमर जिला अलवर।

—————— सायलान

बनाम

1. दानसिंह पुत्र मंगतू जाति गुर्जर निवासी मैंथना तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. उप पंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूमर।

————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति:–1. रामजीलाल शर्मा– अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:आदेश:–

सायलन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 1.35 हैक्ट0, 158 रकबा 0.49 हैक्ट0, 226 रकबा 0.27 हैक्ट0 वाके ग्राम मैंथना तहसील कठूमर में स्थित है। विवादीत आराजी सायल संख्या 1 के 1/3 हिस्से व सायल संख्या 2 के 1/3 हिस्सा व गैरसाल संख्या 1 के 1/3 हिस्से की संयुक्त कब्जे के शामलात में काबिज रहकर काश्त करते है तथ उक्त आराजी अभी अवट है जिसका लगान पक्षकारान शामलात में अदा कर रहे है।मौके पर संयुक्त कब्जे काश्त में है।सायलान व गैरसायल संख्या 1 के मध्य शामलात में काश्त होती चली आ रही थी लेकिन अब सायलान व गैरसायल संख्या 1 के मध्य मनमुटाव इस कदर बढ गया है शामलात काश्त को लेकर झगडा फशाद होता रहता है। विवादीत आराजी पर किसी सूरत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

[illegible] 91/217/24

में काश्त करना संभव नही है। गैरसायलान संख्या 1 जबर्दस्त मूँह जोर व लटठ बाज व्यक्ति है सायालान के हिस्सा पर जबरन कब्जा करने की धमकी देते है उक्त आराजी को गैरसायल संख्या 2 से मिलकर उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन व हिबा आदि द्वारा मुन्तकिल करा दूँगा गैरसायलान ने सायलान को खुले आम धमकी दी कि हम तुझे विवादीत आराजी में तेरे हिस्सा की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नही करने देंगे जबकी गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलानने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान दिनांक 25.11.2024 को बावजूद रजिस्टर डाक सूचना के हाजिर अदालत नही होने पर उनके खिलाफ एकपक्षिय र्कायवाही अमल लाई गई।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम मैंथना एवं दावा निर्णय दिनांक 28.07.2023 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की एकपक्षिय बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलानने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

सायलान को प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करना है –

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रथम दृष्टा केसः— अधिवक्ता सायल ने अपनी एकपक्षिय बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी आराजी सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड आराजी है जिस पर सायल काविज रहकर काश्त कर रहा है लेकिन गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते है जवरन बेदखल करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि होगी। अतः अधिवक्ता सायल ने गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल वाके ग्राम कठूमर पेश की है जिसमें विवादित आराजी सायल की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये और ना अपनी ओर से प्रार्थना पत्र में किसी तरह के उज्र व ऐतराज पेश किये, अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत जमाबन्दी हाल से विवादित आराजी सायल की खातेदारी में दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में सावित है।

सुविधा का सन्तुलनः— विवादित आराजी हाल जमाबन्दी में सायल की खातेदारी में दर्ज है। इससे सावित है जिसका तकासमा किया जाने तो गैरसाल संख्या 1 को कोई असुविधा नहीं होती है अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में पाया जाता है।

ना—पूर्ति होने वाली क्षतिः— विवादित आराजी का सायल खातेदार काश्तकार है यदि गैरसायलान ने सायल को उक्त आराजी से वेदखल कर दिया या कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या वेदखल कर दिया तो नापूर्ति होने वाली क्षति व असुविधा सायल को ही होना संभव है। गैरसायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायल के पक्ष में सावित है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायलान के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित होने से स्वीकार किया जाकर पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 16.08.2024 को मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर